

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51)कार्मिक/क-2/88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार कनिष्ठ सहायक 41 एवं 12 सहायक कर्मचारी कुल 53 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित मण्डल में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी ।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/ 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा।

14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे-आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।
18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें।

चूँकि विभाग में लिपिक ग्रेड II/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)




निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 27/02/19

27.02.2019

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2019/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,संभाग को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रथम).....।
7. श्री.....को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षासंभाग कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

आवेदित पद :- कनिष्ठ सहायक

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हें निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2019/ दिनांक 27/02/19 के तहत 41 कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर मण्डल आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक 14,600/-रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित मण्डल
1	2	3	4	5	6	7
1	लखन लाल सी.सै. 13.11.1998	पुत्र	13.11.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व. दयाराम मीना, प्रधानाध्यापक	25.03.2002	बीकानेर
2	स्वर्णजीत बीए 15.05.1998	दत्तक पुत्र	30.05.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व. विमला चश्रेक	29.12.2004	बीकानेर
3	हितेश कुमार सी.सै. 02.02.2001	पुत्र	06.11.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व. अनिल कुमार शर्मा व.लि.	08.01.2015	बीकानेर
4	संदीप सिंह बीए.एलएलबी 06.01.1991	पुत्र	21.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. बिन्द्रसिंह व.अ. प्राशि.	17.01.2018	बीकानेर
5	अमनदीप सी.सै. 07.02.1999	पुत्र	25.10.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. गंगाधर व.अ.	21.09.2018	चुरु
6	राजपाल सी.सै. 07.10.1996	दत्तक पुत्र	23.03.2015 कनिष्ठ सहायक	स्व. अमरसिंह चश्रेक	21.11.2010	चुरु
7	मनीष उपाध्याय एमए. 06.08.1990	पुत्र	10.10.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व. राजेन्द्र प्रसाद व.अ.	09.06.2017	जयपुर
8	हेमन्त कुमार बीए 29.05.1992	पुत्र	02.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. गोकुलराम अध्यापक प्राशि	25.12.2017	जयपुर
9	पीयूष कुमार एमएससी 17.10.1992	पुत्र	21.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. प्यारेलाल बैरवा व.अ. प्राशि	12.01.2018	जयपुर
10	रूपकिशोर सी.सै. 23.07.1991	पुत्र	09.05.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. गुणेशाराम चौधरी व्याख्याता	19.04.2018	जोधपुर
11	भंवरी चौधरी सी.सै. 01.07.1993	पुत्री	07.11.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व. रतनाराम पटेल अध्यापक प्राशि	01.10.2017	जोधपुर
12	सुनील वासु सी.सै. 03.05.1983	पुत्र	24.05.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्रीमती द्रोपदी वासु अध्यापिका प्राशि	22.04.2017	जोधपुर
13	निहालसिंह सी.सै. 23.10.1998	पुत्र	25.07.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. रतनसिंह चश्रेक	25.06.2018	पाली
14	श्रीमती पुष्पा सैनी बीए 14.12.1986	पत्नी	24.12.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. नरेन्द्र कुमार सैनी व.अ.	16.11.2018	पाली
15	राकेश कुमार एमए. 17.04.1990	पुत्र	03.10.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. बाबूलाल गुरु व.अ.	31.08.2018	पाली
16	वर्षा रांकावत बीए. 18.04.1989	पत्नी	10.10.2016 कनिष्ठ सहायक	स्व. जितेन्द्र अध्यापक प्राशि	09.09.2016	पाली
17	घनश्याम साहू सी.सै. 19.02.1993	पुत्र	19.07.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. रतन लाल तेली चश्रेक	07.06.2018	अजमेर
18	लोरेन्स जैकब सी.सै. 17.11.1986	पुत्र	22.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. अजय जैकब प्र.शा.से.	09.01.2018	अजमेर
19	सुश्री दीपिका त्रिवेदी, बीए. 24.04.1998	पुत्री	08.09.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. गोपाल लाल त्रिवेदी, प्रधानाचार्य	15.08.2018	अजमेर
20	अनुराधा आर्य सी.सै. 17.05.1996	पुत्री	02.03.2016 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्रीमती सुशीला बुनकर, अ. पं.राज	22.02.2012	अजमेर

21	भवानी शंकर स्वामी बीए. 27.06.1996	पुत्र	23.06.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व. राजकुमार स्वामी अध्यापक प्राशि	19.05.2017	अजमेर
22	दिनेश चारण बीए. 25.02.1998	पुत्र	04.10.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. कैलाशदान अध्यापक प्राशि	15.09.2018	अजमेर
23	गणेश कुमार सी.सै. 21.08.1996	पुत्र	19.11.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. महावीर प्रसाद अध्यापक पं.राज	10.10.2018	अजमेर
24	सुमन वर्मा एमए. 29.07.1985	पत्नी	29.10.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. राकेश कुमार अध्यापक प्राशि	27.09.2018	अजमेर
25	सत्यप्रकाश सी.सै. 12.07.1993	पुत्र	30.11.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. सुरेश चन्द महावर व.अ.	09.09.2018	भरतपुर
26	यादवेन्द्र सिंह सी.सै. 07.03.1999	पुत्र	24.10.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. रमेश सिनसिनवार अध्यापक प्राशि	02.10.2018	भरतपुर
27	मानवेन्द्र सिंह सी.सै. 15.10.1998	पुत्र	10.12.2014 कनिष्ठ सहायक	स्व. भगवान सिंह अध्यापक प्राशि	07.11.2014	भरतपुर
28	श्याम कुमार सी. सै. 20.07.1991	पुत्र	24.07.2015 कनिष्ठ सहायक	स्व. मुन्नालाल परमार अध्यापक पं. राज	03.07.2015	भरतपुर
29	सुभाष गोस्वामी, सी.सै.एमबीए. 11.07.1990	पुत्र	23.08.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. गोपाल लाल गोस्वामी, व्याख्याता	04.08.2018	कोटा
30	श्रीमती अनिता नामा बीए. 22.03.1975	पत्नी	06.10.2015 कनिष्ठ सहायक	स्व. कमलेश कुमार नामदेव, अ. प्राशि	26.08.2015	कोटा
31	दिवाकर शर्मा बीकॉम 02.08.1994	पुत्र	01.01.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. महावीर प्रसाद व.अ. प्राशि	20.11.2017	कोटा
32	अजय मीणा बीए. 07.07.1993	पुत्र	19.06.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. मेघराज मीणा अध्यापक प्राशि	07.05.2018	कोटा
33	विवेक सिंह चौहान सी.सै. बीएससी(नर्सिंग) 02.10.1988	पुत्र	05.11.2014 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्रीमती भंवर बाई अध्यापिका पं.राज.	26.09.2014	कोटा
34	दिनेश गुर्जर सी.सै. 11.07.1991	पुत्र	15.05.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व. शिवलाल गुर्जर अध्यापक प्राशि	18.03.2017	कोटा
35	अमृत लाल खटीक सी.सै. 13.09.1998	पुत्र	23.05.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. बंशीलाल खटीक प्रधानाचार्य	24.04.2018	उदयपुर
36	गोपाल मेघवाल सी.सै. 10.06.1993	पुत्र	17.09.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. ख्यालीलाल मेघवाल, प्रधानाचार्य	17.07.2018	उदयपुर
37	रामनारायण जाट, एमए. 05.07.1990	पुत्र	18.01.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. शकरलाल जाट शा.शि.	18.12.2017	उदयपुर
38	श्रीमती कलावती सी.सै. 05.04.1983	पत्नी	24.10.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. किशन लाल व्याख्याता	23.09.2018	उदयपुर
39	रितेश कुमार बीए. 01.07.1997	पुत्र	07.07.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. भगवती लाल कुम्हार, अध्यापक	07.06.2016	उदयपुर
40	वीरेन्द्र मीणा बीए. 25.09.1992	पुत्र	13.08.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्रीमती कमला चश्रेक	25.05.2018	उदयपुर
41	अमृत सिंह देवदा सी.सै. 04.03.1995	पुत्र	16.01.2013 कनिष्ठ सहायक	स्व. टीटा देवदा अध्यापक प्राशि	30.11.2012	उदयपुर

नोट :- क्रम संख्या 01, 02, 03, 06, 07 तथा 20 पर अंकित प्रकरणों में आयु सीमा/समय सीमा में शासन द्वारा शिथिलन प्रदान किया गया है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

4/5/

Date- 27.02.19

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/ 3901/नियुक्ति मूल/2019/ दिनांक 27.02.19 के तहत 12 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर मण्डल आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक 12,400/-रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित मण्डल
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सुमन ग्यारवीं 12.03.1977	पत्नी	06.10.2018 चश्रेक	स्व. कृष्ण कुमार अध्यापक	15.07.2018	चुरू
2	कैलाश तृतीया 01.01.1989	पुत्र	16.10.2018 चश्रेक	स्व. कालूराम चश्रेक	31.08.2018	चुरू
3	चम्पा साक्षर 01.01.1986	पत्नी	20.03.2018 चश्रेक	स्व. गिरधारी राम अध्यापक प्राशि	11.02.2018	जोधपुर
4	श्रीमती मीना कुमारी चौधी 03.05.1992	पत्नी	24.01.2019 चश्रेक	स्व. भंवर लाल चश्रेक	08.12.2018	पाली
5	तीजा देवी साक्षर 01.01.1978	पत्नी	22.07.2016 चश्रेक	स्व. लाल चन्द मीणा अध्यापक प्राशि	03.05.2016	अजमेर
6	गुरुदत्त पाराशर दसवीं 05.08.2001	पुत्र	26.10.2017 चश्रेक	स्व. मोहन लाल पाराशर, अध्यापक	06.09.2017	भरतपुर
7	अक्षय चौधरी नौवीं 08.06.2000	पुत्र	02.08.2018 चश्रेक	आशा चौधरी, चश्रेक	23.06.2015	कोटा
8	संतोष बागड़ी सैके. 16.12.1987	पत्नी	12.04.2018 चश्रेक	स्व. अमृतसिंह बागड़ी अध्यापक	27.08.2017	कोटा
9	तेजवीर माली आठवीं 16.01.2002	पुत्र	23.03.2018 चश्रेक	स्व. ठाकुरलाल चश्रेक	28.06.2017	कोटा
10	श्रीमती पुष्पा मनात साक्षर 26.01.1985	पत्नी	13.12.2018 चश्रेक	स्व. नाथूलाल मनात शाशि	08.10.2018	उदयपुर
11	राकेश कुमार अहारी सैके. 01.07.1983	पुत्र	11.12.2018 चश्रेक	स्व. कान्ति लाल अहारी प्रधानाचार्य	26.10.2018	उदयपुर
12	श्रीमती कृष्णा माली आठवीं 05.07.1984	पत्नी	10.10.2016 चश्रेक	स्व. रमेश चन्द कानिस्टेबल गृह विभाग	02.09.2016	उदयपुर

नोट :- क्रम संख्या 06, 07, 08, 09 पर अंकित प्रकरणों में आयु सीमा/समय सीमा में शासन द्वारा शिथिलन प्रदान किया गया है।

(W/S)

(नथमल डिडेल)

आई.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर